Neutral Citation No. - 2024:AHC:130825-DB

A.F.R.

"आरक्षित निर्णय"

आरक्षण तिथि : 31—7—2024

उद्बोधन तिथि : 13—8—2024

Court No. - 43

Case :- CRIMINAL APPEAL No. - 940 of 2021

Appellant :- Ankit Punia
Respondent :- State of U.P.
Counsel for Appellant :- Arun K. Singh Deshwal,Jitendra Kumar Shishodia
Counsel for Respondent :- Y, Y,G.A.

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.
Hon'ble Dr. Gautam Chowdhary,J.

(मान्नीय डा0 न्यायमूर्ति गौतम चौधरी द्वारा पारित न्याय—पत्र)

1— अपीलार्थी की ओर से यह दाण्डिक अपील, मु0अ0सं0 550 सन 2017, अन्तर्गत धारा 458, 376, 302, 506 भा0दं0वि0, थाना जानी, जिला मेरठ से उद्भूत दाण्डिक वाद सं0 01 सन 2018 में विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट) मेरठ द्वारा पारित निर्णय दि0 20—11—2020, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त अंकित पूनिया को धारा 302 भा0दं0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास एवं रू0 25,000/— अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, धारा 376/511 भा0दं0वि0 के अपराध में 7 वर्ष के कारावास एवं रू0 10,000/— अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 458 भा0दं0वि0 के अपराध में 7 वर्ष का कारावास एवं रू0 10,000/— अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, के विरूद्ध योजित की गयी है।

2— वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा शनि कुमार बाल्मिकी निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना जानी, जिला मेरठ, ने तहरीर थानाध्यक्ष को इस कथन के साथ प्रेषित की कि वह बाल्मिकी जाति (अनुसूचित जाति) का व्यक्ति है। उसकी 100 साल की वृद्ध एवं बीमार दादी मां श्रीमती फुल्लो देवी पत्नी स्व. श्री हिम्मत सिंह निवासी ग्राम रघुनाथपुर, थाना जानी, मेरठ, दिनांक 29.10.2017 को समय करीब 11:30 पीएम रात्रि में बीमारी के कारण बेहोशी की हालत में रजाई ओढकर अपनी चारपाई पर घर के बरामदे में सोई हुई थीं। वह और उसकी पत्नी श्रीमती अंजु बरामदे के पास बने हुए एक कमरे में

लेटे हुए थे तभी बरामदे में अर्द्ध बेहोशी की हालत में सोई हुई उसकी दादी मां के कराहने की आवाज उसे व उसकी पत्नी श्रीमती अंजु को सुनाई दी तो उसने व उसकी पत्नी ने बाहर निकलकर बरामदे में देखा कि उसके ही गांव का अंकित पूनिया पुत्र स्व. सतेन्द्र पूनिया उसकी 100 साल की वृद्ध और बीमार दादी मां के साथ उनके ऊपर लेटा हुआ संभोग कर रहा है। उसने और उसकी पत्नी ने उसे बडी मुश्किल से दादी मां के ऊपर से उठाया तो अंकित पूनिया शराब के नशे में धुत था और जब उसने उसे पकडने का प्रयास किया तो वह दरवाजे से भाग गया। वह अपनी दादी मां को एम्बूलेंस में डालकर थाने लाया। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाए।

3— उपरोक्त तहरीर पर अभियुक्त अंकित पूनिया के विरूद्ध दिनांक 30.10.2017 को समय 1:45 बजे मुकदमा अपराध संख्या 550/2017, अन्तर्गत धारा 458, 376 भा०द०सं० व धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट दर्ज हुआ जिस पर क्षेत्राधिकारी द्वारा विवेचना की गयी।

4— विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौरान विवेचना दिनांक 30.10.2017 को समय करीब तीन बजे रात्रि पीडिता की मृत्यु हो गयी जिस कारण मामला धारा 302 भा०द०सं० में जी०डी०संख्या 20, परिवर्तित हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका हवाला जी०डी० सं० 27 दिनांकित 30.10.2017 में दिया गया है।

5— विवेचक ने मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया। गवाहान के बयान दर्ज किये। मृतका की स्लाईड जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गयी। विवेचक द्वारा मौका मुआयना कर नक्शा नजरी बनाया गया। अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 458, 376, 302, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी.एक्ट प्रेषित किया गया।

6— अभियुक्त को आरोप विरचित किये जाने हेतु कारागार से तलब किया गया और दिनांक 20.7.2018 को धारा 458, 376, 302, 506 भा०दं०सं० व धारा 3 (2) 5 एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण चाहा।

7— आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, पंचायतनामा प्रदर्श क–2, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–3,

चिकित्सक द्वारा जारी मृत रिपोर्ट प्रदर्श क–4, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–5, चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–6, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7, जी०डी० कायमी प्रदर्श क–8, पुलिस प्रपत्र सं० 13 प्रदर्श क–9, फोटोनाश प्रदर्श क–10, प्रतिसार निरीक्षक को प्रेषित पत्र प्रदर्श क–11, मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित पत्र प्रदर्श क–12, नमूना मोहर प्रदर्श क–13, नक्शा नजरी प्रदर्श क–14 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क–15 तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 4.7.2020 प्रस्तुत की गयी।

8– मौखिक साक्ष्य में वादी मुकदमा शनि कुमार को अभियोजन साक्षी सं0–1, चश्मदीद गवाह श्रीमती अंजू अभियोजन साक्षी सं0–2, वादी के पिता इल्मे अभियोजन साक्षी सं0–3, चिकित्सीय रिपोर्ट देने वाली डा० नमृता अभियोजन साक्षी सं0–4, पोस्टमार्टम करने वाले डा० डी०के०शर्मा अभियोजन साक्षी सं0–5, एफआईआर लेखक शर्मिम जहां अभियोजन साक्षी सं0–6, एस0आई0 विनोद कुमार अभियोजन साक्षी सं0–7, विवेचक संतोष कुमार सिंह अभियोजन साक्षी सं0–8 को परीक्षित किया गया।

9– अभियोजन साक्षी सं0 1 वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह बाल्मिकी अनुसूचित जाति का है। अभियुक्त अंकित पूनिया जाट बिरादरी का है और उसी के गांव का है। दिनांक 29.10.2017 की रात्रि 11:30 बजे की घटना है उसकी दादी फुल्लो देवी उम्र करीब 100 वर्ष बीमारी के कारण बेहोशी की हालत में रजाई ओढकर धर के बरामदे में चारपाई पर सोई थी। वह अपनी पत्नी अंजू के साथ बरामदे के साथ बने कमरे में लेटा था। उसके पिता ऐलन सिंह जो कुछ ऊंचा सुनते हैं, बरामदे में लेटे थे। दादी के कराहने की आवाज सुनकर वह अपनी पत्नी के साथ बरामदे में गया तो उन्होने बल्ब की रोशनी में देखा कि हाजिर अदालत अंकित पूनिया उसकी दादी के ऊपर लेटा हुआ संभोग कर रहा था। उसकी दादी 15–20 दिन से बीमारी की हालत में नीचे का कपड़ा नही पहनती थीं क्योंकि लेटे रहने के कारण उनकी पीठ पर घाव हो गये थे। उसने शोर मचाते हुए अपने पिता के साथ अंकित पूनिया को पकड लिया। जब वह अपनी दादी को देखने लगा तो उसी समय अंकित पूनिया धमकी देते हुए कि इसका तो उसने काम कर दिया है उसे भी नही छोडेगा, धक्का मुक्की करते हुए मौके से भाग गया। उसके पिता पकडने के लिए दौडे लेकिन वह भाग गया। उसकी दादी की हालत अत्यधिक खराब हो गयी थी। उसने एम्बूलेंस बुलाई और थाने जाकर तहरीर दी। गवाह ने तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है। रात को उसकी दादी का डाक्टरी मुआयना हुआ था। पहले जानी ले गये थे बाद में पी०एल०शर्मा अस्पताल ले गये। इलाज के दौरान ही उसकी दादी की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने पंचायतनामा भरा था। गवाह ने पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की

शिनाख्त कर उसे प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। पुलिस ने उसकी दादी का पोस्ट मार्टम कराया था। सीओ साहब ने उसकी निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया था।

10– अभियोजन साक्षी सं0–2 श्रीमती अंजू ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी ददिया सास फुल्लो देवी की उम्र करीब 100 वर्ष थी जो काफी बीमार व वृद्ध थीं। दिनांक 29.10.2017 की रात्रि लगभग 11:00–11:30 बजे की घटना है। उसकी ददिया सास बरामदे में लेटी थीं जो अर्द्धबेहोशी की हालत में थीं और कराह रही थीं। उसके ससुर ऐलन सिंह बरामदे में ही लेटे थे। वह अपने पति के साथ बरामदे के पीछे बने कमरे में लेटी थी। वह अपनी ददिया सास के कराहने व ससुर के चीखने की आवाज सुनकर अपने पति के साथ बरामदे में गयी तो बल्ब की रोशनी में देखा कि हाजिर अदालत मुल्जिम, जो गैर अनुसूचित जाति का है, और उसी के गांव का है, उसकी ददिया सास के ऊपर लेटा हुआ बलात्कार कर रहा था। उसकी ददिया सास बीमारी के कारण नीचे कोई कपडा नही पहनती थीं। अंकित पूनिया भी नग्न अवस्था में था। मौके पर अंकित पूनिया को उसके पति व ससुर ने पकड लिया था लेकिन ददिया सास की हालत खराब थी। जब उसके पति दादी को देखने लगे तो धक्का–मुक्की देते हुए यह कहते हुए कि इसका तो मैने काम कर दिया है उनको भी नही छोड़ेगा व जान से मारने की धमकी देते हुए गिरते पडते भाग गया। वह नशे की हालत में था। अंकित पूनिया ने हमारी जाति को जानते हुए ददिया सास के साथ बलात्कार किया है। उसके पति ने एम्बूलेंस बुलाई थी। वह एम्बूलेंस में ददिया सास को लेकर अपने पति के साथ थाने गयी। थाने में तहरीर दी और उसके बाद पुलिस वालों के साथ पी०एल०शर्मा अस्पताल आये थे जहां उसकी ददिया सास का चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। दौरान इलाज सुबह के समय उसकी ददिया सास की मृत्यु हो गयी।

11– अभियोजन साक्षी सं0 –3 इल्मे, जिसको ऊंचा सुनाई देता है और कान के पास बोलने पर सुनकर–समझकर जवाब दे रहा है, ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी मां का नाम फुल्लो था। उसकी मां की उम्र कितनी थी उसे नहीं पता। **उसे यह भी नही पता कि उसकी मां के साथ क्या हुआ था। उसे नहीं पता कि उसकी मां कैसे मरी। वह घर पर था उसे नही पता कि रात को मां के साथ क्या हुआ था।** वह तो सो गया था। **विद्वान अभियोजन अधिकारी की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

12— अभियोजन साक्षी सं0—4 डा. नम्रता, हाल तैनाती पीएचसी रोहटा सम्बद्ध 6 पीएसी, मेरठ ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना वाली रात दिनांक 30.10.2017 को वह डीडब्लू—एच मेरठ में तैनात थी उस दिन समय लगभग तीन बजे एएम (रात) म0का0 2683 सीमा थाना जानी मेरठ श्रीमती फुल्लो देवी पत्नी हिम्मत सिंह निवासी ग्राम रघुनाथपुर को मैडिकल परीक्षण हेतु लेकर आयी थीं। श्रीमती फुल्लो उस समय अर्द्ध मूर्च्छित थीं। होश हवास में नही थीं एवं बोलने व जवाब देने में असमर्थ थीं। उनकी तरफ से उनके बेटे की बहू लक्ष्मी व उनके पोते की बहु अंजू ने बातें बताई । श्रीमती फुल्लो के बांये गाल पर एक काला तिल था। अंजू व लक्ष्मी ने बताया कि दिनांक 29.10.2017 की रात्रि 11 बजे उनके घर पर लडका अंकित घुस आया था और उसने बरामदे में लेटी फुल्लो देवी, जो एक महीने से पूर्ण रूप से बिस्तर पर हैं, के साथ पूर्ण नग्न अवस्था में यौन संबंध करते देखा। यह घटना अपनी मां के पास बरामदे में सोये इलम सिंह ने देखी थी और अंकित को नग्न अवस्था में पकडा था। **श्रीमती फुल्लो देवी के एक महीने से बिस्तर पर लेटे रहने से उनको "बैडसोर" था। पीडिता के कोई चोट के निशान नही मिले थे।** पीडिता ने सिर्फ शर्ट पहनी थी। नीचे कुछ नही पहना था। लेटी रहती थीं। पल्स 80 प्रति मिनट थी। बी.पी.100—70 था। सांस 18 प्रति मिनट थी। **पीडिता के शरीर पर कोई बाह्य चोट नही थी।** कोई कपडा सुरक्षित रखने हेतु नही लिया था। उसने परीक्षण के दौरान एक वैजायनिल स्लाईड दो वैजायनिल स्लैब व 3एमएल ब्लड चार बंडल में सील करके सर्वे मोहर के साथ आयी कांस्टेबल को सौंप दिया था। चार सील बंद लिफाफे महिला कां० सीमा को सौंप दिये थे। गवाह को कागज संख्या 63/1 ता 63/9 दिखाये गये जिन पर गवाह ने अपने हस्ताक्षरों की पहचान की और बताया कि यह मैडिकल उसके ही हस्तलेख में है। गवाह ने मैडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क—3 को साबित किया है।

13— पीडब्लू—5 डा. डी०के०शर्मा ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उनके द्वारा दिनांक 30.10.2017 को समय करीब 3:30 पीएम हाल सी 2683 सीमा सोलंकी और थाना जानी द्वारा सीपी 359 सर्वेश कुमार थाना जानी द्वारा श्रीमती फुल्लो देवी पत्नी स्व० हिम्मत सिंह, उम्र करीब 100 वर्ष महिला, निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना जानी मेरठ का शव पोस्ट मार्टम हेतु लाया गया जिसकी पहचान सनी कुमार व सचिन (पोते) द्वारा की गयी। मृतका का शव पैरों को छोडकर सारा अकड़ा हुआ था। **मृतका के शरीर पर पीछे कमर के निचले हिस्से में और पीछे नितम्ब पर संक्रमित बैड सोल थे। जिसका साइज 30 सेमी X 22 सेमी था।** फेफडे दोनो साईड के संक्रमित थे। उनकी राय में मृतका की मृत्यु का समय लगभग आधे से एक दिन पहले का था। **मृत्यु सैप्टिक सीमिया शॉक से हुई।** टीम में डा० रिचा देशवाल लेडी मैडिकल आफिसर सीएचसी परीक्षितगढ, मेरठ, में तैनात थी। **कोई बाहरी चोट जबरदस्ती का प्रमाण नहीं था।** मृतका के

दो वेजाइनल स्मीयर स्लाइड बनाई जो फोरेन्सिक विभाग भेजी। गवाह द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–5 व फोटो नाश प्रदर्श क–6 को साबित किया गया है।

14– अभियोजन साक्षी सं0–6 कां0 2401 शर्मिन जहां, अभियोजन साक्षी सं0 7 एस0आई0 विनोद कुमार तथा अभियोजन साक्षी सं0 8 संतोष कुमार सिंह औपचारिक साक्षी हैं जिन्होंने अपने–अपने द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में बयान दिया है तथा आवश्यक फर्द प्रदर्श आदि को साबित किया है।

15– अभियोजन साक्ष्य सम्पन्न होने के उपरांत अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें उसने घटना को गलत बताया और गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र प्रेषित करने का कथन किया। **उसने कथन किया कि सरकार से मिलने वाले मृतक आश्रितों के पैसे के कारण झूठा फंसाया है।** वादी सनी कुमार ने पैसे के लेन देन के कारण रंजिशन आपराधिक षडयंत्र कर उसे झूठा फंसाया है। अभियुक्त को प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर दिया गया किन्तु उसके द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य नही दिया गया।

16– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार शिशोदिया एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अर्चना सिंह को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

17– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादी मुकदमा ने अभियुक्त से सुअर पालने हेतु एक लाख रूपये उधार लिये थे, जिसको वह अदा नहीं कर रहा था, उक्त उधार की रकम को वापस न देने के उद्देश्य से तथा सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पाने के लिए अभियुक्त गलत एवं कपोलकल्पित कहानी बनाकर झूठा फंसाया गया है तथा वादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर दोहरा लाभ अर्जित किया है। **इस फर्जी एफ0आई0आर0 लिखाने से वादी जहॉ एक ओर उधार की रकम वापस करने से बचा वहीं दूसरी ओर सरकार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त की जिसे उसने अपने बयानों में स्वीकार किया है। अभियोजन साक्षी सं0 1 वादी ने अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया है कि वह घटना के समय अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद में रह रहा था, इसलिए वह चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता, इस प्रकार अभियोजन साक्षी सं0 1 एवं अभियोजन साक्षी सं0 2 के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभियोजन साक्षी सं0 3 ने न्यायालय में सशपथ बयान दिया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुयी, न ही उसे जानकारी है । कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया**

गया। घटना रात्रि के समय की है और अभियुक्त को कपड़ा छोड़कर भागने का कथन किया गया है, लेकिन वादी के द्वारा वहां से कोई बरामदगी नहीं दिखायी गयी है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी रक्त की कोई मैचिंग नहीं पायी गयी और न ही कपड़ों पर स्पर्म या वीर्य पाया गया। पीड़िता बीमार थी तथा उसकी मृत्यु बैडसोल के कारण हुयी है, बलात्कार किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है, अभियोजन साक्षीगण के बयानों में घोर विरोधाभाष है। अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

18— विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा रात्रि के समय गृह भेदन कर वृद्ध व बीमार पीडिता से बलात्कार किया गया, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। बलात्कार करने के बाद पकडे जाने पर जान से मारने की धमकी दी और इसी जघन्य कृत्य के कारण पीडिता फुल्लो देवी की मृत्यु हुई जो कि हत्या की कोटि में अभियुक्त के कृत्य के कारण आयेगी। गवाहान ने घटना को बखूबी साबित किया है। अभियुक्त घटना के समय नशे में धुत था। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को संदेह से परे साबित किया गया है। इस आधार पर यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है तथा विद्वान विशेष न्यायाधीश/एस0सी0 एस0टी0 ऐक्ट द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दि0 19—11—2020 पुष्ट किए जाने योग्य है।

19— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने तथा साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय का अभिमत है कि :—

(क)— विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 458, 376/511, 302 भा0दं0वि0 का दोषी पाने हेतु यह अभिमत व्यक्त किया है कि :—

> "चूँकि घटना वादी के घर के अंदर बरामदे में हुई तथा घर के अंदर दुष्कर्म अथवा बलात्कार करने की नीयत से अभियुक्त घर में घुसा था। घटना रात्रि के समय की है। ऐसे में अभियुक्त के द्वारा रात्रो पृच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृहभेदन का अपराध अन्तर्गत धारा 458 भा0दं0सं0 सन्देह से परे साबित होता है।
>
> जहां तक धारा 376 भा०दं०सं० का प्रश्न है, गवाह पी०डब्लू0—1 व पी०डब्लू0—2 द्वारा मौके पर अभियुक्त को नग्न अवस्था में पीडिता के उपर लेटा सम्भोग करने की स्थिति में देखा। पीडिता पहले से ही वैडसोर के कारण नीचे से नग्न अवस्था में थी। मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज बयान के आधार पर भी पीडिता सिर्फ टी—शर्ट पहने वैडसोर के कारण नीचे कुछ नहीं पहनी थी। पीड़िता के कोई बाहरी चोट या जबरदस्ती बलात्कार करने के निशान नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज संख्या 37क के अनुसार शर्ट पर रक्त पाया गया था। वैजइनल स्मीयर स्लाइड पैन्ट टी—शर्ट पेनाईल स्मीयर स्लाइड बक्कल स्मीयर स्लाइड पर कोई रक्त नहीं मिला। किसी वस्तु पर शुक्राणु या वीर्य नहीं पाया गया और ना ही पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट में गुप्तांग पर कोई बाहरी चोट के लक्षण मिले। अभियुक्त द्वारा

पेनेट्रेशन किये जाने का कोई साक्ष्य या लक्षण नहीं पाया गया। बल्कि वह संभोग का प्रयत्न कर रहा था। चूंकि अभियुक्त बलात्कार करने का प्रयत्न में था, जिसे गवाहान द्वारा साबित किया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 376/511 भा०दं०सं० बलात्कार करने का प्रयास करना साबित होता है।

अभियुक्त द्वारा पीड़िता से दिनांक 29–10–2017 की रात्रि 10.30 बजे बलात्कार करने का प्रयत्न किया गया वह अत्यन्त वृद्व बीमार 100 वर्षीय महिला थी। बैडसोर से पीड़ित थी। अभियुक्त का उक्त कृत्य से मृतका को इतना सदमा लगा कि उस सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। बीमारी व वृद्ध अवस्था में उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, ऐसा सदमा उसके लिये मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। अभियुक्त के उक्त कृत्य से ही उसी रात में मृतका की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0वि0 का अपराध सन्देह से परे साबित होता है।"

(ख)– इस न्यायालय का अभिमत है कि अभियोजन साक्षी सं0 2 वादी की पत्नी है तथा वह अपने को चश्मदीद साक्षी कह रही है, उसने अपनी जिरह में बयान दिया है कि **"अभियुक्त नग्न अवस्था में ही भाग गया था, हमने अभियुक्त को कपड़े पहनने का मौका नहीं दिया था, यह बात सही है कि मेरे घर से अभियुक्त का कोई कपड़ा, सामान, जूते चप्पल आदि न ही हमारे द्वारा बरामद किया गया और न ही पुलिस द्वारा बरामद किया गया"** यहॉ पर यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि यदि अभियोजन साक्षी सं0 2 के इस कथन को मान भी लिया जाय कि अभियुक्त नग्न अवस्था में ही भाग गया था, उसे कपड़े पहनने का मौका नहीं दिया गया, तो उसके कपड़े आदि घटनास्थल से ही क्यों नहीं बरामद किये गये, इस तथ्य से अभियोजन साक्षी सं0 2 का कथन असत्य हो जाता है। इस अभियोजन साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि **"इस घटना का कोई अड़ोसी–पड़ोसी गवाह नहीं है"** यह तथ्य अपने आप में भ्रामक है कि **वादी व उसके परिवार वालों के शोर पर अभियुक्त के भागने पर अड़ोस–पड़ोस के किसी व्यक्ति के आने का किसी भी साक्षी ने जिक्र नहीं किया है।** विचारण न्यायालय ने स्वयं भी यह अभिमत व्यक्त किया है कि वैजइनल स्मीयर स्लाइड पैन्ट टी–शर्ट पेनाईल स्मीयर स्लाइड बक्कल स्मीयर स्लाइड पर कोई रक्त नहीं मिला। किसी वस्तु पर शुक्राणु या वीर्य नहीं पाया गया और ना ही पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट में गुप्तांग पर कोई बाहरी चोट के लक्षण मिले। अभियुक्त द्वारा पेनेट्रेशन किये जाने का कोई साक्ष्य या लक्षण नहीं पाया गया। अभियोजन साक्षियों के बयान से विचारण न्यायालय की यह अवधारणा गलत है कि अभियुक्त बलात्कार करने के प्रयत्न में था, इसलिए **अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376/511 भा0दं0वि0 बलात्कार करने का प्रयास करना साबित नहीं होता है।**

(ग)– मृतका के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में चिकित्सक ने कहा है कि "No External injury Present at the time of Examination" तथा चिकित्सक ने अन्त में

अपना अभिमत व्यक्त किया है कि " No Sign of Force being used sexual assault can not be ruled out."

(घ)– विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित 6 वस्तु प्रदर्शो की जॉच के उपरान्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने आख्या दिया है कि **वस्तु (1) से (6) पर शुक्राणु अथवा वीर्य नहीं पाया गया**

(ङ0)– मृतका के शव विच्छेदन आख्या में कहा गया है कि **"No Sign of any external force of being used, No sign of any external injury, 2 Sample of vaginal semen slide sent to forensic, Final comment can be given after submission reports, however sexual assault can not ruled out."**

(च)– अभियोजन साक्षी सं0 5 डा0 डी0के0 शर्मा, जिन्होंने मृतका का शव विच्छेदन किया है के बयान के अनुसार " बैड सोल के अलावा मृतका के शरीर पर कोई भारी चोट के निशान नहीं थे और न ही अन्दरूनी चोट थी व निशान थे, मृतका की मृत्यु **सेप्टिक सीमर** व वृद्धा अवस्था के कारण मृत्यु हुयी है।"

(छ)– चूॅकि डाक्टर ने मृतका की मृत्यु सेप्टिक सीमर से होना कहा है, इसलिए इस स्तर पर **"सैप्टिक सीमिया शॉक"** की परिभाषा पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत् है:–

"**Septic shock** is a potentially fatal medical condition that occurs when sepsis, which is organ injury or damage in response to infection, leads to dangerously low blood pressure and abnormalities in cellular metabolism. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) defines septic shock as a subset of sepsis in which particularly profound circulatory, cellular, and metabolic abnormalities are associated with a greater risk of mortality than with sepsis alone. Patients with septic shock can be clinically identified by requiring a vasopressor to maintain a mean arterial pressure of 65 mm Hg or greater and having serum lactate level greater than 2 mmol/L (>18 mg/dL) in the absence of hypovolemia. This combination is associated with hospital mortality rates greater than 40%.

The primary infection is most commonly caused by bacteria, but also may be by fungi, viruses or parasites. It may be located in any part of the body, but most commonly in the lungs, brain, urinary tract, skin or abdominal organs.[2] It can cause multiple organ dysfunction syndrome (formerly known as multiple organ failure) and death.[3]

Frequently, people with septic shock are cared for in intensive care units. It most commonly affects children, immunocompromised individuals, and the elderly, as their immune systems cannot deal with infection as effectively as those of healthy adults. The mortality rate from septic shock is approximately 25–50%

Causes

Septic shock is a result of a systemic response to infection or multiple infectious causes. The precipitating infections that may lead to septic shock if severe enough include but are not limited to appendicitis, pneumonia, bacteremia, diverticulitis, pyelonephritis, meningitis, pancreatitis, necrotizing fasciitis, MRSA and mesenteric ischemia.[4][5]

According to the earlier definitions of sepsis updated in 2001,[6] sepsis is a constellation of symptoms secondary to an infection that manifests as disruptions in heart rate, respiratory rate, temperature, and white blood cell count. If sepsis worsens to the point of end-organ dysfunction (kidney failure, liver dysfunction, altered mental status, or heart damage), then the condition is called severe sepsis. Once severe sepsis worsens to the point where blood pressure can no longer be maintained with intravenous fluids alone, then the criterion has been met for septic shock."

(ज)– उपरोक्त साक्ष्य इंगित करते हैं कि मृतका की उम्र करीब 100 वर्ष थी और उसकी मृत्यु किसी प्रहार या चोट इत्यादि से नहीं हुयी। उसकी मृत्यु को मानव–वध की श्रेणी में डाले जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस अवधारणा को समर्थन मिलता है कि शायद सरकार से धन प्राप्त करने के लिए ही Sexual offence और मानव वध का आरोप लगाया गया।

(झ)– उपरोक्त व्याख्या के प्रकाश में यह तथ्य विश्वसनीय है कि अभियुक्त को वादी ने सरकार से मिलने वाले मृतक आश्रितों को पैसों के कारण झूॅठा फॅसाया गया तथा वादी सनी कुमार ने अभियुक्त से लिए गए पैसों के कारण रंजिशन आपराधिक षड़यंत्र करके झूठा फॅसाया गया है, क्योंकि अभियोजन साक्षी सं0 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि **"मेरी दादी फुल्लो देवी की मृत्यु के पश्चात् तीनों भाई को मेरे पापा व उनके दोनों भाइयों को सरकार से सवा आठ लाख रूपये मिले थे।"**

(ई0)– इस मामले में यह तथ्य भी विचारणीय है कि किसी भी साक्षी ने कहीं पर भी मृतका को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का कोई अपराध गठित नहीं होता है।

20– **इस प्रकार अभियुक्त अंकित पूनिया के विरूद्ध :–**

(1) धारा 302 भा0दं0वि0 का अपराध गठित नहीं होता है चूँकि चिकित्सक के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण **"सेप्टिक सीमर"** पाया गया है। इस आधार पर अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भा0दं0वि0 में की गयी दोष–सिद्धि का निर्णय खण्डित किया जाता है।

(2) धारा 376 / 511 भा0दं0वि0 का अपराध गठित नहीं होता है कि चूँकि मृतका की मृत्यु पूर्व परीक्षण करने वाले चिकित्सक द्वारा यह आख्या दी गयी है कि **"No External injury Present at the time of Examination"** तथा चिकित्सक ने अन्त में अपना अभिमत व्यक्त किया है कि **"No Sign of Force being used sexual assault can not be ruled out."** इस आधार पर अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376 / 511 भा0दं0वि0 में की गयी दोष–सिद्धि का निर्णय खण्डित किया जाता है।

(3) अभियोजन साक्षीगण इस बात को भी साबित करने में असफल रहे हैं कि अभियुक्त रात्रि के समय घर के अन्दर दुष्कर्म अथवा बलात्कार करने की नीयत से घर के अन्दर घुसा, इसलिए अभियुक्त द्वारा रात्रो पृच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृहभेदन का अपराध अन्तर्गत धारा 458 भा0दं0वि0 का भी अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होता है।

21– निष्कर्षतः यह दाण्डिक अपील **स्वीकार** की जाती है तथा अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत **धारा 302, 376, 511, 458 भा0दं0वि0 के अपराध में दोष–मुक्त किया जाता है** एवं दाण्डिक वाद सं0 01 सन 2018 में विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट) मेरठ द्वारा पारित निर्णय दि0 20–11–2020, जिसके द्वारा अपीलार्थी / अभियुक्त अंकित पूनिया को धारा 302 भा0दं0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास एवं रू0 25,000 / – अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, धारा 376 / 511 भा0दं0वि0 के अपराध में 7 वर्ष के कारावास एवं रू0 10,000 / – अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 458 भा0दं0वि0 के अपराध में 7 वर्ष का कारावास एवं रू0 10,000 / – अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, को **अपास्त** किया जाता है।

22– तद्नुसार संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी / अभियुक्त अंकित पूनिया को कारागार से नियमानुसार **मुक्त** कर दिया जाय।

23– कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेज दिया जाय तथा इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर न्यायालय को अनुपालन हेतु तुरंत भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(न्यायमूर्ति डा0 गौतम चौधरी) (न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा)

दि0 : 13–8–2024

के0सी0सिंह / सी0पी0साहनी

Digitally signed by :-
KAILASH CHANDRA SINGH
High Court of Judicature at Allahabad